

फर्ट अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम:- नसीराबाद

बनाम

किरम मुकदमा - 128 L.P.A. प्रकरण संख्या -

सन् :- 2016

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
9.1.17	अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रापत्र प्रस्तुत किया प्रापत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रापत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। मिसल वारन्टे इंतजारी तलबी दिनांक 15.1.17 को पेश हो।	733-734 17-1-17

Lu
उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद

15/1/17 बार एसोसियेशन नसीराबाद के कार्य स्थगन प्रस्ताव के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 5/4/17 को पेश हो।

आदेशानुसार

रीडर

5/1/17 बार एसोसियेशन नसीराबाद के कार्य स्थगन प्रस्ताव के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 7/6/17 को पेश हो।

आदेशानुसार

रीडर

7.6.17 बीठासीन अधिकारी के आज मुख्यालय से बाहर वीरे/अवकाश पर जाने/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहने के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 13.6.17 को पेश हो।

आदेशानुसार

रीडर

(Signature)
C/S 6.17

चाय आपक द्वार अभियान - 2017

13.6.17 पत्रावली बैर वीर लोहरवाडा में पेश हुई। उक्त न डाल जमग जन्तर्गत द्वारा 128 L.P.A. पेशवा निवेदन किया कि आप लोहरवाडा ने हाल खतरा नम्बर 1028/0.24

पाठासीन अधिकारी

लोक अदालत/कैम्प कोर्ट

(Signature)
नीह खान

व 1028/6045 खण्ड 0.85 की आराजी जमीन
की कृषि/वाहनकारी व वसूले काशन की है।
उक्त जमीन संबंधित वाद 37/2013 इनपत्नी
अराजी
रशीद बनाप अप्रत्यक्ष मामली न्यायालय द्वारा
सिनां 5.6.15 को जमीन के हक में निर्दिष्ट किया
जा चुका है। उक्त आराजी पर पत्वारगी
या तारखेरी नहीं होने के कारण अप्रत्यक्ष 1
उक्त आराजी पर दरवाजगी कर रहा है। अतः

उक्त आराजी की पत्वारगी करवाने की अपायरोवा
अप्रावी 1 अप्रत्यक्ष खण्ड में उपस्थित

हो का जाहिल किया कि वादग्रह आराजी की
पत्वारगी से उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया
वादग्रह आराजी जमीन, इसमें मिला व अन्य
व्यक्तियों को सहखोलकारी में दर्ज है। जमीन
के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों/सहखोलकारों का
भी उक्त आराजी पर सामान हक व अधिकार
निहित है। जमीन द्वारा अन्य व्यक्तियों/सह-
खोलकारों का पुष्पण में समार नहीं बनाया
जाया है। वादग्रह आराजी की पत्वारगी सभी
सहखोलकार व जमीनी खोलकारों को अतिरिक्त
में होना ही न्यायोचित है।

(अ)

पाठासन अधिकारी
लोक अदालत कैम्प कोर्ट

अतः ग्राम मोहरवाडा के इलाखे-१
 १०२४/०.२५ व १०२४/००५५ रकबा ०.४५
 पर जमीन का अधिना पत्र इत आशय से
 खरीदा कि जा जाता है कि तहसीलदार
 नसीबखान उमर आरागी पर जमीन खरीद
 सहखोलापर व अधिना की उपस्थिति में
 विधिवत पत्तयानी की कार्यवाही करावे
 पत्तयानी खर्च स्वयं वहन करे पत्तयानी
 पत्र प्राप्त होकर नम्बर से खर्च हो
 व दाखिल रखा हो

पाठासन अधिकारी
 लोक अदालत कैम्प कोर्ट
 मोहरवाडा

अ
१

१७

ील
०४५

कारी
चन्द
में

नहीं
की
प्र
हो
ज्ञान
रगदी